



प्रेस—विज्ञप्ति

राजभवन में विश्वविद्यालयों के अन्तर्गत 'नैक प्रत्ययन', 'यू.एम.आई.एस.' एवं 'एच.एड.पोस्ट' में हुई प्रगति की समीक्षा की गई

पटना, 03 जून 2019

महामहिम राज्यपाल श्री लाल जी टंडन ने प्रधान सचिव श्री आर.के। महाजन को राज्य के सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से 'नैक प्रत्ययन' (NAAC Accreditation), यू.एम.आई.एस। (University Management Information System) और 'H.Ed.Post' की तैयारियों के बारे में निरन्तर प्रगति प्रतिवेदन प्राप्त करते रहने को कहा है।

इस संबंध में आज राज्यपाल के निदेशानुरूप राज्यपाल सचिवालय में उपर्युक्त तीनों विषयों पर सूक्ष्मतापूर्वक विश्लेषण हेतु एक समीक्षा—बैठक आयोजित हुई, जिसमें संयुक्त सचिव श्री विजय कुमार, ओ.एस.डी। श्री अहमद महमूद, एन.आई.सी। प्रभारी श्री विजय कुमार सहित अन्य वरीय अधिकारियों ने भाग लिया।

समीक्षा के क्रम में यह बात स्पष्ट हुई कि राज्य के सभी 260 अंगीभूत महाविद्यालयों ने All India Survey on Higher Education (AISHE) में 'नैक प्रत्ययन' हेतु अभ्यावेदित कर दिया है। प्राप्त सूचनानुसार, राज्य के कुल 260 अंगीभूत महाविद्यालयों 99 पूर्व से ही 'नैक एक्रीडेटेड' हैं। शेष 161 महाविद्यालयों में से 125 ने 'I.I.Q.A.' दाखिल कर दिया है। आई.आई.क्यू.ए। कर चुके 125 अंगीभूत महाविद्यालयों (Constituent College) में से 45 ने आजतक Self Study Report (SSR) भी दाखिल कर दिया है। शेष 80 अंगीभूत महाविद्यालयों को यथाशीघ्र 'SSR' दाखिल करते हुए राज्यपाल सचिवालय को प्रतिवेदित करने के सख्त निदेश आज प्रदान किए गये हैं। ज्ञातव्य है कि 'I.I.Q.A.' की अभ्यर्थिता—प्राप्ति के 45 दिनों के अंदर 'SSR' दाखिल करना अनिवार्य होता है। ऐसा नहीं कर पाने पर 'I.I.Q.A.' की सीमावधि समाप्त (Laps) हो जाती है। आज समीक्षा के बाद सभी कुलपतियों को निदेशित किया जा रहा है कि I.I.Q.A. प्राप्त अंगीभूत महाविद्यालयों द्वारा 45 दिनों की निर्धारित सीमावधि के भीतर ही 'SSR' अनिवार्यतः दाखिल करा दिये जायें, ताकि 'NAAC Team' यथासमय संबंधित कॉलेजों का परिभ्रमण कर अपनी अनुशंसा समर्पित कर सके।

राज्यपाल सचिवालय में हुई आज की समीक्षा बैठक के दौरान यह भी स्पष्ट हुआ कि वीर कुँवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा एवं बाबासाहेब भीमराव अम्बेदकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर अभी तक 'University Management Information System' के कार्यान्वयन हेतु कार्यकारी एजेन्सियों का चयन नहीं कर पाये हैं। इन विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को यथाशीघ्र 'UMIS' के कार्यान्वयन हेतु नियमानुसार एजेन्सियाँ चयन करने को कहा गया है, ताकि 'ऑनलाईन एडमिशन' की प्रक्रिया समय से पूरी हो सके।

राज्य के विश्वविद्यालयों के सभी कुलपतियों को 'HEdPost' पर यू.जी.सी. के निदेशानुरूप अपेक्षित सूचनाएँ यथाशीघ्र उपलब्ध कराने को भी कहा गया है। ज्ञातव्य है कि 'HEdPost' के तहत शिक्षकों, शिक्षकेतर कर्मियों की स्वीकृत बल-संख्या, रिक्ति, उनके पदनाम, पुस्तकालयों में पुस्तकों की कुल संख्या, प्रयोगशालाओं में उपकरणों, रसायनों आदि सामग्रियों की उपलब्धता आदि कॉलेजों से संबंधित सभी तरह की सूचनाएँ 'एप्स' के जरिये उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है। ज्ञातव्य है कि राज्य के सभी अंगीभूत एवं एफलीएटेड कॉलेजों के बारे में 'HEdPost' के जरिये सूचनाएँ उपलब्ध कराने के लिए निदेशित किया गया था। सभी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को कहा गया है कि वे सभी कॉलेजों के प्राचार्यों को यथाशीघ्र 'HEdPost' पर सूचनाएँ राजभवन को उपलब्ध करा देने की हिदायत अपने स्तर से दे दें।

महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाधिपति के निदेशानुसार, राज्यपाल के प्रधान सचिव श्री महाजन ने कल 4 जून, 2019 को मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर तथा बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा के कुलपतियों की बैठक भी राजभवन में बुलाई है। इस बैठक में मगध विश्वविद्यालय के अधीन 'एफलीयेटेड कॉलेजों' के विद्यार्थियों के लंबित परीक्षाफलों पर भी विचार किया जाएगा। ज्ञातव्य है कि इस विश्वविद्यालय द्वारा वैसे 100 से अधिक कॉलेजों के विद्यार्थियों के परीक्षाफल नहीं प्रकाशित किए गये हैं, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा 'एफलीएशन' प्रदान नहीं किया गया था। इन तीनों विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ बैठक में यह भी जानकारी प्राप्त की जाएगी कि राज्य सरकार से बगैर 'एफलीयेशन' प्राप्त किए कितने कॉलेजों ने एडमिशन ले लिया था? बैठक में संबंधित तीनों विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों एवं परीक्षा-नियंत्रकों को भी शामिल होना है। महामहिम राज्यपाल-सह-कुलाधिपति ने प्रधान सचिव को कल की बैठक में वस्तुस्थिति की स्पष्ट जानकारी प्राप्त करते हुए अवगत कराने को कहा है ताकि यथोचित निर्णय लिया जा सके।
